संख्या-309/2020/2224/22-2-2019-17(164)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2020

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असलूक पुत्र श्री मजरूद्दीन, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असलूक पुत्र श्री मजरूद्दीन, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। 11 बीघा जमीन मस्जिद को दान किए जाने को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बंदी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.05.2001 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को तमंचों से गोली मारकर घायल किया एवं चाकुओं से बुरी तरह काट डाला, जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी तथा 01 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 17 वर्ष 07 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आने तथा समयपूर्व रिहा होने पर अप्रिय घटना घटित होने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि 11 बीघा जमीन मस्जिद को दान किए जाने को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में 10 सहअभियुक्तों साथ मिलकर दिनांक 21.05.2001 को तमंचों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने व 01 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, समयपूर्व रिहा होने पर अप्रिय घटना घटित होने की संभावना होने, गांव की रंजिश के और अधिक प्रबल होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी असलूक पुत्र श्री मजरूद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी असलूक (बन्दी संख्या-8388) पुत्र श्री मजरूद्दीन, निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-309/2020/2224(1)/22-2-2019 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-309/2020/2224/22-2-2019-17(164)/2016

दिनांक 17 अगस्त, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असलूक (बन्दी संख्या-8388) पुत्र श्री मजरूद्दीन, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। 11 बीघा जमीन मस्जिद को दान किए जाने को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बंदी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.05.2001 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को तमंचों से गोली मारकर घायल किया एवं चाकुओं से बुरी तरह काट डाला, जिससे तीनों की मृत्यु गयी तथा 01 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 17 वर्ष 07 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आने तथा समयपूर्व रिहा होने पर अप्रिय घटना घटित होने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि 11 बीघा जमीन मस्जिद को दान किए जाने को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में 10 सहअभियुक्तों साथ मिलकर दिनांक 21.05.2001 को तमंचों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने व 01 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, समयपूर्व रिहा होने पर अप्रिय घटना घटित होने की संभावना होने, गांव की रंजिश के और अधिक प्रबल होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी असलूक पुत्र श्री मजरूद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in